निर्यात भाड़े में इन उत्पादों के लिए दोगुना होगा अनुदान

ओडीओपी निर्यातकों को अब दोगुनी छूट मिलेगी

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

06 हजार रुपये अनुदान मिलता था अभी तक कंटेनर के भाड़े में

10 हजार रुपये या 50 फीसदी छूट मिलेगी अब भाड़े में

गाजियाबाद के मशीनरी पार्ट्स हों या वाराणसी के सिल्क उत्पाद हों या फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा के रेडीमेट गार्मेंटस...। ओडीओपी के तहत आने वाले इन उत्पादों का निर्यात करने वालों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। इन निर्यातकों को भाड़े में करीब दुगनी छूट अलग -अलग श्रेणियों में मिलेगी।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभाग ने ओडीओपी योजना को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सभी 75 जिलों के एक- एक उत्पादों के नियार्तकों को माल भाड़े में अनुदान की रकम दुगनी की जाएगी। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा।

कंटेनर के किराये पर दस हजार रुपये छूट: प्रस्ताव के मुताबिक 20 फीट के कंटेनर के भाड़े में पहले 25 प्रतिशत या अधिकतम छह हजार रुपये अनुदान मिलता था। अब अनुदान के जरिए भाड़े में 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रुपये छूट मिलेगी। दूसरी श्रेणी में 40 फीट के कंटेनर में 25 प्रतिशत या अधिकतम 12 हजार रुपये की छूट मिलती थी। अब अधिकतम 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। वैसे ओडीओपी योजना से बाहर के उत्पादों के निर्यात पर पहले जैसी व्यवस्था बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ओडीओपी योजना को गेमचेंजर बता चुके हैं। इसके जरिए प्रदेश के लाखों हस्तशिल्पी, कारीगर व उद्यमी जुड़े हुए हैं। ओडीओपी उत्पादों की विदेशों में मांग बढ़ाने के लिए देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर खास उत्पाद प्रदर्शित होंगे। जब विदेशी नागरिक भारत आएंगे तो इन उत्पादों के बारे में जानकार उत्तर प्रदेश आएंगे।

खास उत्पादों की ब्रांडिंग होगी

कानपुर देहात के जस्ते के बर्तन, गाजीपुर के जूट वाले हैंगिंग्स, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, पीलीभीत की बांसुरी, बहराइच के गेहूं के डंठल की कलाकृतियां, महोबा के गौरा पत्थर शिल्प, मैनपुरी की तारकशी कला वाले उत्पाद, रामपुर का जरी व पैचवर्क व लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प आदि की खास ब्रांडिंग होगी। इत्र, कांच के बर्तन, पीतल का सामान, चर्म उत्पाद आदि उत्पाद का यूपी में पहले से ही बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा है।

Hindustan Times - Page 2 - 18.10.2019